

piccadily

10/09/2019

The Manager,
BSE Limited,
Phiroze Jeejee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai

Company Code : 530305

Subject: Compliance under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

With regard to above subject, the Notice of 25th Annual General Meeting and E-Voting information has been published in the Business Standard, English & Hindi newspapers on 10th September, 2019.

Copy of the newspaper advertisement is attached herewith.

Please take the information on records.

Thanking You,
Sincerely yours,

For Piccadily Agro Industries Ltd


Niraj Kumar Sehgal
Group Secretary



Piccadily Agro Industries Ltd.

CIN No. : L01115HR1994PLC032244

Regd. Office : Village Bhadson, Umri Indri Road, Teh. Indri, Distt. Karnal, Haryana (India).
Phone : 91-1744-271859, 271653

Corresp. Address : # 304, Sector 9-D, Chandigarh-160009 Ph. : 0172-4660993-994
Website : www.picagro.com E-mail : piccadilygroup34@rediffmail.com

Business Standard (English)

PICCADILY AGRO INDUSTRIES LTD.

CIN No. L01135HR1994PLC0332244

Regd. office: VII, Bhadson, Lunkshahi Road, Tehsil Haldi, Dist. Karnal (Haryana), 132109

Website: www.piccadily.com, email: piccadily@piccadilyagroindia.com

**NOTICE OF 25th ANNUAL GENERAL MEETING,
E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION**

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 04.00 pm at VII, Bhadson, Lunkshahi Road, Tehsil Haldi, Dist. Karnal (Haryana) to transact the Ordinary and Special Business as per the order concerning the meeting.

The Notice of AGM, Annual Report & Attendance slip have been sent to electronic mode to the members whose E-mail ids are registered with the Company's Registrar and Transfer agents M/s. Ashokra Capital Ltd.; Depository participants, Physical copies of such documents have been sent to all other members at their registered addresses in the permitted mode. The Notice has been disseminated / emailed to all members and the process has been completed on 2nd September, 2019. The Notice of AGM is also available on the Company's website www.piccadily.com

Pursuant to the provisions of Section 100 of the Companies Act, 2013, read with Rules made there under, Company is providing e-voting facilities to its members to cast / exercise their right to vote by electronic means through the e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL).

The instructions for e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:-

1. The remote e-voting will commence on September 26, 2019, at 09:00 A.M. (IST) and will end on September 26, 2019 at 05:00 P.M. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting after the said date and time and members will not be allowed to vote electronically post/on the said date and time.

2. The voting rights of the members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the date of date i.e. 21.09.2019. A person whose name is recorded in the Register of Members of the Registrar of Bharatnagar, Karnal (Haryana) as on the date of the AGM, OR date only shall be entitled to exercise the voting rights.

3. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the date of the AGM, may obtain the login id and sequence number by sending a request at share@piccadily.com

4. The facility for voting through ballot shall also be made available at the meeting and members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting.

5. A member can opt for any one mode of voting i.e. remote e-voting or Ballot Form. A member casts vote by both the modes, the votes cast through e-voting shall prevail and Ballot Form shall be treated as invalid.

6. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be entitled to vote again at the AGM.

7. NOTICE is further given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and the Rules framed thereunder and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Registrar of Members and the System Transfer Books of the Company shall remain closed from 20-09-2019 to 30-09-2019 (both days inclusive) for the purpose of 25th Annual General Meeting.

Place: Chandigarh
Date: 09.09.2019

For Piccadily Agro Industries Limited
Sd/- (Harvinder Singh Chopra)
Managing Director
Dir. No: 00129891

13/9

Business Standard (Hindi)

विकाइकी एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कॉम्पेन्यू नं. ल०११३५०११९९४५०३३२२४४

१०० नं. बहाडसन रोड, लुन्कशाही रोड, तहसील हल्दी, जिला कर्नाल (हरियाणा), १३२१०९
वेबसाइट: www.piccadily.com, ई-मेल: piccadily@piccadilyagroindia.com

२५वीं वार्षिक वित्तिय वृत्त की सूचना, ई-वोटिंग

श्री. श्री. सुभाष चंद्र शर्मा को पेशकशी

आज, ०९ सितंबर २०१९ को १०:०० बजे २५वां वार्षिक वित्तिय वृत्त (आर.टी.आर.) जारी किया जा रहा है। सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वे २६ सितंबर २०१९ को ०९:०० बजे से ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे बंद हो जाएगी। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

१. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

२. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

३. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

४. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

५. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

६. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

७. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

८. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

९. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

१०. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

११. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

१२. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

सं. १३
श्री. श्री. सुभाष चंद्र शर्मा को पेशकशी

१. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

२. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

३. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

४. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

५. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

६. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

७. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।

८. वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग प्रणाली बंद होने के बाद भी सदस्यों को २६ सितंबर २०१९ को ०५:०० बजे तक वोटिंग कर सकते हैं।